

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
कमांक. एफ 12(23)/आजभूसं/सू.अधि./2017/ दिनांक:

आदेश


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से लोक सूचना अधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर एतद् द्वारा नामित किया जाता है:-

लोक प्राधिकरण का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी	कार्यक्षेत्र
आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज0 जयपुर	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण आयुक्तालय जयपुर	आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण

-501
(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

कमांक. एफ12(23)/आजभूसं/सू.अधि./2017/256-332 दिनांक: 07.06.2017
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त कृषि
6. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
7. अति. निदेशक(प्रशासन/आई.डब्ल्यू.एमपी) आयुक्तालय, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
11. संयुक्त निदेशक, एम.आई.ई एस. आयुक्तालय, जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
13. ए.सी.पी., आयुक्तालय, को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
14. प्रभारी स्टोर, आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित लेख है कि उपर्युक्तानुसार सूचना पट्ट पर नाम लिखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।


(विजय चौधरी)
अति.निदेशक(प्रशासन)